प्रेषकः **दिनांक – 19.08.2017**

नागेन्द्र कुमार प्रसाद

डी–303, नीलकन्ठ रेसिडेन्सी,

नियर न्यू एल. पी. श्वानी स्कुल रोड,

केनाल रोड, पालनपूर, सूरत–395009,

ई–मेल आॅडी–112527nag@gmail.com

सेवा में,

केन्द्रीय नागरिक सूचना अधिकारी,

शहरी विकाश मंत्रालय,

नई दिल्ली।

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत केन्द्रीय 'सातवें वेतन आयोग के रिर्पोट' से संबंधी सूचना हेतु।

महोदय,

मेरा नाम नागेन्द्र कुमार प्रसाद है। मैं केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग के लागू किये गये रिर्पोट के संबंध में कुछ जानकारी चाहता हुं।

अतः सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मैं जानना चाहता हुँ कि

1- सातवें वेतन आयोग के रिर्पोट में गृह निर्माण अग्रिम ऋृण ट्रांस्फर के संबंध में जनना चहता हुँ कि कोई 'सी' वर्ग का सरकारी कर्मचारी निजि बैंक द्वारा 25 लाख गृह निर्माण ऋृण लिया है, वर्तमान में रूपये 23 लाख बकाया है। तोः–

- सरकारी कर्मचारी के सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन रूपये 40,000/– है। तो वह कार्यालय से कितने राशि का स्थानांतरण (Transfer) निजि बैंक को किया जा सकता है?
- यदि पति एवं पत्नी दोनो **अलग–अलग** सरकारी कार्यालय के कर्मचारी है। जिसमें **पति** सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन **रूपये 40,000/–** है एवं **पत्नी** सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन **रूपये 30,000/–** है, **तो उपरोक्त वर्तमान में रूपये 23 लाख बकाया मे संयुक्त रूप से या किसके कार्यालय से कितने राशि का** स्थानांतरण (Transfer) **निजि बैंक को किया जा सकता है?**

2- **क्रम संख्या 1 के संबंध में नियमों पूर्ण विवरण दें**, जिससे कर्मचारी सरकारी कार्यालय से गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सके। (उपरोक्त विवरर्ण दिनांक 25.07.2016 सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के रिर्पोट **एंव** क्रम सं 11-1/2016-IC दिनांक 06.07.2017 के केन्द्रीय वेतन आयोग के संस्तुत भत्तों में विवरण उपलब्ध नही होने के कारण मांगी गई है।)

3- सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम ऋृण के ब्याज दर (Intrest Rate) वर्ष 2003 से 9.5% है। वर्ष 2003 के बाद वर्तमान समय तक गृह निर्माण अग्रिम ब्याज दर (Intrest Rate) में कोई बदलाव क्यों नही किया गया**?** गृह निर्माण अग्रिम ऋृण के ब्याज दर (Intrest Rate) निर्धारित करने नियमों का विवरण बताया जाए।

महोदय वर्ष 2003 के बाद सरकारी एवं निजि बैकों में गृह निर्माण अग्रिम ऋृण के ब्याज दर (Intrest Rate) में काफी परिवर्तन हुआ है। जो वर्तमान मे 7 से 8 प्रतिशत के बीच है। सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम ऋृण के ब्याज दर (Intrest Rate) में भी उपरोक्त अनुसार परिर्वतन की आवश्यकता है।

भवदीय,

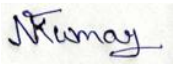

नागेन्द्र कुमार प्रसाद